न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0 न0 88/2020 (जी.सी.एम.एस. 2020/00043) पीठासीन अधिकारीः– डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

मौहकम सिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट नि0 ग्राम श्यौरावली तहसील व जिला डीग (राज0)

–सायल

बनाम

जयराम पुत्र विश्वनारायन जाति ब्राहमण नि0 ग्राम श्यौरावली तहसील व जिला डीग(राज0)

–गैर सायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 01.08.2024

सायल द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 109/0.72, 81/0.95, 110/0.54,वाके ग्राम माटौली तहसील डीग में स्थित है। दौरान सैटिलमेंट विभाग द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 109/0.72,को साविक खसरा नम्बर 80/2–18, 81मिन/2–15 से व हाल आराजी खसरा नम्बर 81/0.95, को साविक खसरा नम्बर 67/1–6, 68/4–1 से तथा हाल खसरा नम्बर 110/0.54 को साविक खसरा नम्बर 81मिन, 82मिन/2–5 से निर्मित किया है। सायल का पिता सूरजमल पुत्र तेजसिंह उक्त साविक खसरा नम्बर 67मिन/0–13, 68मिन/2–3 विस्वा, 80 मिन X 1-9, 81 मिन X 1-7 का तथा शंकर पुत्र मोती वैश्य साविक खसरा नम्बर 67 मिन/0–13, 68 मिन/2–3, विस्वा,80 मिन X 1-9, विस्वा, 81मिन/1–8, विस्वा का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2024 लगायत 27 में रहे है। इसी प्रकार मौके पर कब्जा काश्त रहा है। उक्त साविक नम्बरान दो हिस्सो में विभाजित थे। सायल के पिता सूरजमल की मृत्यु के पश्चात उक्त नम्बरान के हिस्सा 1/2 पर सायल वाहैसियत खातेदार काश्तकार काजिव काश्त हो गया तथा शंकर पुत्र सोनी वैश्य ने अपना हिस्सा 1/2 भू–प्रबंध होने से पूर्व प्रति0 संख्या 01 जयराम को हिस्सा 1/3 व महादेई पुत्री रामप्रसाद धर्म पत्नी जमुनाप्रसाद,सन्तोष पुत्री रामसरन पत्नी जगनप्रसाद,आशादेवी पुत्री रामदास धर्म पत्नी कालीचरन को हिस्सा 1/4 बेचान कर दखल व कब्जा सौप दिया। इस प्रकार से साविक खसरा नम्बर 67/1–6, 68/4–6, 80/2–18, 81/2–15 के हिस्सा 1/2 पर सायल व हिस्सा 1/2 पर गैर सायल संख्या 01 जयराम व उसके परिजनों की खातेदारी की रही है। सैटिलमेंट विभाग द्वारा उक्त साविक नम्बरान के बदले में जो जमाबन्दी खतौनी सम्बत 2041में तैयार की जिसमें हाल खसरा नम्बर 81/0.95, 109/0.72 में

उपखण्ड अधिकारी जिला डीग (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वादी को गलत तौर पर हिस्सा 1/4का तथा गैर सायल को हिस्सा 1/2 का दर्ज कर दिया। जबकि उक्त नम्बरान में वादी सायल का हिस्सा 1/2 व गैर सायल का हिस्सा 1/4 होता है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैर सायल को रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पावंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल जयराम की ओर से मूल दावे में दिनांक 18.04.2022 को इकबाल दावा पेश कर अपनी सहमति व्यक्त की गई। गैर सायल की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

गैर सायल की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील सायल ने कहा कि वर्णित आराजी के सम्बन्ध में गैर सायल जयराम के द्वारा पूर्व में ही अपना इकबालदावा पेश किया हुआ है। गैर सायल को वर्णित आराजी के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थगन को दावे के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील सायल की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः–</u> विवादित आराजी खसरा नम्बरान 109/0.72, 81/0.95, 110/0.54,वाके ग्राम माटौली तहसील डीग में स्थित है। दौरान सैटिलमेंट विभाग द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 109/0.72,को साविक खसरा नम्बर 80/2–18, 81मिन/2–15 से व हाल आराजी खसरा नम्बर 81/0.95, को साविक खसरा नम्बर 67/1–6, 68/4–1 से तथा हाल खसरा नम्बर 110/0.54 को साविक खसरा नम्बर 81मिन, 82मिन/2–5 से निर्मित किया है। उक्त वर्णित आराजी पर गैर सायल जयराम की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई तथा ना ही प्रार्थना पत्र में अपना जबाव पेश किया। मूल दावे में दिनांक 18.04.2022 को अपना इकबालदावा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायल के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

<u>सुविधा का संतुलनः–</u> विवादित आराजी खसरा नम्बरान 109/0.72, 81/0.95, 110/0.54,वाके ग्राम माटौली तहसील डीग में स्थित है। दौरान सैटिलमेंट विभाग द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 109/0.72,को साविक खसरा नम्बर 80/2–18, 81मिन/2–15 से व हाल आराजी खसरा नम्बर 81/0.95, को साविक खसरा नम्बर 67/1–6, 68/4–1 से तथा हाल खसरा नम्बर 110/0.54 को साविक खसरा नम्बर 81मिन, 82मिन/2–5 से निर्मित किया है। उक्त वर्णित आराजी पर गैर सायल जयराम की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई तथा ना ही प्रार्थना पत्र में अपना जबाव पेश किया। मूल दावे में दिनांक 18.04.2022 को अपना इकबालदावा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन गैर सायल के पक्ष में न होकर सायल के पक्ष में बखूबी प्रकट होना प्रतीत है।

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अपूर्तिनीय क्षतिः— विवादित आराजी खसरा नम्बरान 109/0.72, 81/0.95, 110/0.54,वाके ग्राम माटौली तहसील डीग में स्थित है। दौरान सैटिलमेंट विभाग द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 109/0.72,को साविक खसरा नम्बर 80/2—18, 81मिन/2—15 से व हाल आराजी खसरा नम्बर 81/0.95, को साविक खसरा नम्बर 67/1—6, 68/4—1 से तथा हाल खसरा नम्बर 110/0.54 को साविक खसरा नम्बर 81मिन, 82मिन/2—5 से निर्मित किया है। उक्त वर्णित आराजी पर गैर सायल जयराम की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई तथा ना ही प्रार्थना पत्र में अपना जवाव पेश किया। मूल दावे में दिनांक 18.04.2022 को अपना इकबालदावा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति सायल के पक्ष में बखूवी प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायल के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचना अनुसार हम सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188, आर.टी.एक्ट के अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बरान 109/0.72, 81/0.95, 110/0.54,वाके ग्राम माटौली तहसील डीग में स्थित आराजीयात पर रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने तथा रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित गैर सायल जयराम को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner